न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/27/2024	2024/147	19.06.2024	15.01.2025

1. मुखराम जागा पुत्र स्व0 श्री बनवारीलाल जागा जाति जागा निवासी ग्राम खुटेटा कला, बाम्बोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार (भू0अ0) रामगढ़, जिला अलवर राज0।

—रेस्पाडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.12.2004 इंतकाल संख्या 24 ग्राम वाके ग्राम खुटेटा कला तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

उपस्थितः—

01—श्री महादेव प्रसाद जांगिड़ —वकील अपीलाण्ट

02—श्री दीपक मीना — राजकीय अभिभाषक

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 24 निर्णय दि0 21.12.2004 वाके ग्राम खूटेटाकला तहसील रामगढ़ जिला अलवर के द्वारा अपीलाण्ट का नाम गलत अंकित की गई है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि हाल जमाबन्दी के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 549, 552, 570, 571, 613, 614, 615, 575, 578, 579, 579, 580, 581, 600, 607, 608, 609, 610, व 612 वाके ग्राम खूटेटकला तहसील रामगढ जिला अलवर राज० में स्थित है, जो आराजी मिन अपीलाण्ट का हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा जो हिस्सा ही उक्त आराजी में विवादित है। उक्त आराजी मिन अपीलाण्ट को अपने पिता की विरासत में प्राप्त हुई है, पूर्व में अपीलाण्ट के पिता विवादित आराजी के खातेदार रहे है। किन्तु विरासत का इन्तकाल दर्ज करते समय अधिनस्थ न्यायालय ने मौका पर आकर मृतक के वारीसान व उनके वारीसान के नामो की कोई जाचं नही की है ना ही इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व कोई सम्मन नोटिस जारी किया और मनमाने व रिकार्ड के खिलाफ मिन अपीलाण्ट का नाम इन्तकाल में मुकेश पुत्र बनवारीलाल दर्ज कर दिया गया तथा इसके उपरान्त जमाबन्दीयों में इसी प्रकार मिन अपीलाण्ट का नाम मुकेश पुत्र बनवारीलाल दर्ज होता रहा, जबकि मिन अपीलाण्ट का सही व वास्तविक नाम मुखराम जागा है, यही नाम मिन अपीलाण्ट के आई.डी. प्रुफ में दर्ज है। जिसको दुरूस्त कराने मिन अपीलाण्ट राजस्व कर्मचारी व अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कई बार गया लेकिन उनके द्वारा काई उचित कार्यवाही नहीं की गई, जिससे मिन अपीलाण्ट के अधिकार जायल हुए है तथा उक्त इंतकाल की त्रुटि के बने रहने से मिन अपीलाण्ट को भारी नापूर्वी होने वाला नुकसान हो रहा है, तथा मिन अपीलाण्ट विभागीय कार्यवाही करने से वंचित हो रहा है। इसलिए मिन अपीलाण्ट को यह अपील निम्न आधारो पर पेश करना आवश्यक हुआ है। अपील विरूद्ध इन्तकाल न्यायालय तहसीलदार साहब रामगढ जिला अलवर के होने से अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 21—12—2004 के होने से देरी की अवधि का मुजरा दिया जाकर अपील अन्दर अवधि पेश है। जिस देरी की अवधि को माफ कराने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। मिन अपीलाण्ट को पूर्व में उक्त इन्तकाल की कोई जानकारी नही रही है। सप्रथम जानकारी मिन अपीलाण्ट को उस समय हुई

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

जब अपीलाण्ट ने ऋण पत्रावली तैयार कराने हेतु पटवारी हलका से दिनांक 14-07-2022 को सम्पर्क किया तो उन्होने हाल राजस्व रिकार्ड देख कर अपीलाण्ट को बताया कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल व तदानुसार त्रुटीपूर्ण मुकेश पुत्र बनवारीलाल दर्ज चला आ रहा है जिसको पहले दुरूस्त कराना आवश्यक है। जिस पर तुरन्त ही अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल लेने हेतु दिनांक 14-07-2022 को आवेदन किया, जो नकल अपीलाण्ट को दिनांक 12-08-2022 को प्राप्त हुई जिससे वास्तविक तथ्यों को ज्ञान हुआ। इसके उपरान्त मिन अपीलाण्ट ने अपने वकील साहब से मिलकर आवश्यक सलाह मश्वरा किया तो उन्होने अपील पेश करने की हिदायत दी. चूंकि मिन अपीलाण्ट गरीब कृषक है इसलिए अपीलाण्ट को वकील फीस व खर्चा अपील का इन्तजाम करने में समय लग गया। इस प्रकार अपील पेश करने में जो देरी दिनांक 21-12-2004 से दिनांक 12-08-2022 तक की जानकारी के अभाव में व दिनांक 13-8-2022 से लेकर दिनांक 05-02-2023 तक की वकील साहब से सलाह मश्वरा करने व वकील साहब की फीस व अपील तैयारी का खर्चे का इन्तजाम करने में हुई है जो नेकनियती व सदभावना पर आधारित है जो देरी माफ की जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार किये जाने योग्य है। उक्त इन्तकाल विधि विरूद्ध रूप से खिलाफ मौका बिना जांच किये व बिना मौका पर जाकर पूछताछ किये दर्ज व स्वीकृत किये गये है जो इसी आधार पर दुरूस्ती की हद तक निरस्त किया जाकर दुरूस्ती होने योग्य है। उक्त इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व मिन अपीलाण्ट काबिज काश्तकार को कोई नोटिस सूचना आदि जारी नही की है ना ही कोई एतराजात लिये गये है अन्यथा मिन अपीलाण्ट अपने वास्तविक व सही नाम के बारे में जानकारी व दस्तावेजात पेश करता। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने मिन अपीलाण्ट को पक्ष प्रस्तुत करने व दस्तावेजात पेश करने का कोई अवसर प्रदान नही किया है और कतई गलत व बेजा रूप से एक तरफा में कार्यवाही करते हुए उक्त त्रुटिपूर्ण इन्तकाल को दर्ज व स्वीकृत किया गया है जो इन्तकाल इसी आधार पर दुरूस्ती की हद तक निरस्त किया जाकर दुरूस्ती होने योग्य है। विवादित इन्तकाल को दर्ज व स्वीकृत करने से पूर्व विधिक प्रक्रिया प्रोसीजर को नही अपनाया गया है जिससे भी उक्त इन्तकाल इसी आधार पर दुरूस्ती की हद तक निरस्त किया जाकर दुरूस्ती होने योग्य है। मिन अपीलाण्ट का वास्तविक व सही नाम मुखराम जाका पुत्र बनवारीलाल जागा है तथा मिन अपीलाण्ट का यही नाम आई. डी. प्रुफ आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजात में अंकित है तथा मिन अपीलाण्ट का इसी नाम मुखराम जाका पुत्र बनवारीलाल जागा से जाना व पहचाना जाता है, ताईद में दस्तावेजात श्रीमान के अवलोकनार्थ संलग्न कर पेश किये जा रहे है। राजस्व रिकार्ड में त्रुटि बने रहने से मिन अपीलाण्ट गम्भीर रूपसे प्रभावित हो रहा है, इस आधार पर भी मिन अपीलाण्ट आलोच्य इन्तकाल इसी आधार पर दुरूस्ती की हद तक निरस्त किया जाकर दुरुस्ती होने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरसाई जाकर इन्तकाल संख्या 24 दिनांक 21-12-2004 तहसीलदार श्रीमान तहसीलदार (भू०अ०), तहसील रामगढ जिला अलवर को दुरूस्ती की हद तक निरस्त फरमाया जाकर मिन अपीलाण्ट का त्रुटिपूर्ण नाम मुकेश को कलमजन कर सही नाम मुखराम जागा संशोधित इनतकाल दर्ज व स्वीकृत करने तथा इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में दुरूस्ती करने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण संख्या 24 वाके ग्राम खुटेटाकला, बाम्बोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में अपीलाण्ट का नाम मुखराम जागा पुत्र स्व0 श्री बनवारी लाल के स्थान पर मुकेश पिता बनवारी किया गया है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2004 के विरूद्ध दिनांक 07.02.2023 को पेश की गयी है जो करीब 18 साल 01 माह 17 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न

आ. कलक्टर, जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 21.12.2004 एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न अपीलाण्ट का आधार कार्ड एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में अपीलाण्ट का वास्तविक नाम मुखराम जागा पुत्र स्व0 श्री बनवारी लाल जागा अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अपने बड़े भाई का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अंकित किया गया है कि मुखराम मेरा छोटा भाई है जिसे गांव में मुकेश के नाम से जाना पहचाना जाता है तथा अपीलाण्ट जो कि मेरा छोटा भाई है, का कागजात में वास्तविक नाम मुखराम जागा ही है। मुखराम व मुकेश एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल तस्दीक करते समय अपीलाण्ट के वास्तविक नाम मुखराम जागा पुत्र स्व0 श्री बनवारीलाल की सही जांच किये बिना नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जो एक विधिक त्रृटि है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश नामा0 सं0 24 दिनांक 21.12.2004 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि नामान्तकरण में अपीलाण्ट का वास्तविक नाम मुखराम जागा पुत्र स्व0 श्री बनवारी लाल जागा नियमानुसार इन्द्राज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)